

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

07141-234204 (कार्यालय) E-mail-dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2017 / २१६
प्रति,

बैतूल, दिनांक / १२/२/१७

मुख्य वन संरक्षक,
बैतूल वृत्त बैतूल

- विषय:- बैतूल जिले में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य से वनग्राम मालनी -II को उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र भौंरा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 154 में विस्थापित किए जाने हेतु 285.700 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव बाबत।
- संदर्भ:-
1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्र0/एफ-5/
802/ 2016/10-11/2795 दिनांक 24.12.2016
2- आपका पृ.क्रमांक / मा.चि./ 16/8380 दिनांक 27.12.2016

—00—

विषयांतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र में वनमंडल से संबंधित उल्लेखित कमियों की विन्दूवार पूर्ति निम्नानुसार है :-

1. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग- II के विन्दु क्रमांक 3 में जिलेवार वनक्षेत्र में संशोधन किया गया है।
2. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग- II के विन्दु क्रमांक 15 में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के कॉलम क्रमांक 24 में अनुशंसा का कारण / अनुशंसा का उल्लेख कर दिया गया है।
3. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग- II के विन्दु क्रमांक 16 में मेनुअली भरा जाने वाला भाग- II अपलोड किया गया है।
4. वनसंरक्षक एवं संयुक्त संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के पत्र क्र. / मा.चि./ 5773 दिनांक 18.10.16 से विषयांकित प्रस्ताव की संलग्न हार्डकापी में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 10570 दर्शायी गई थी। इसका परीक्षण वनमंडल के प्रचलित कार्य आयोजना से किया गया, जिसमें आवेदित कक्ष क्रमांक 154 में प्रति है। वृक्षों की संख्या 455 उल्लेखित है। इस प्रकार कार्य आयोजना में उल्लेखित एवं प्रस्ताव में बताये गये वृक्षों में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण पुनः वृक्षों की गणना कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र0/2089 दिनांक 05.11.16 से सहायक क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद को लेख किया गया। पुनः वृक्षों की गणना करने पर आवेदित कक्ष क्रमांक 154 में कुल 33827 वृक्ष प्रभावित होना पाये गये हैं, जिसकी प्रविष्टि ऑनलाईन भाग-II में की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार भाग— 2 की ऑनलाइन प्रविष्टि भारत सरकार की वेबसाईट—
www.forestclearance.nic.in पर की जाकर ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक 12.02.2017 को आपकी ओर
प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के ऑनलाइन प्रविष्टि किए गये भाग -1 एवं 2 की हार्डकॉपी आवश्यक अग्रिम
कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

fbw
(संजीव झा)
वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक / 12/2/17

पृ.क./मा.चि./2017/ २८७

प्रतिलिपि:- 1— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2— वन संरक्षक एवं संयुक्त संचालक सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ
सम्प्रेषित ।

fbw
वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल
fbw

Site Inspection Report

(Request for permission for Rehabilitation of Forest Village Malani (Part-II) in North Betul Division)

S.No.	Particular	Inspection Report By CCF / DFO (T)
1	Extent in hectares	285.700
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	N-22° 21' 00" E-77° 50' 00"
3	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	Reserve Forest
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	No
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation, Site quality, species composition etc.	Site quality III & IV a , Miscellaneous species.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life, reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	Nil
9	Endemism of flora / fauna or any other unique ecosystem in the area.	No, Only common flora & fauna is found.
10	Current land use Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not, why ?	Yes
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12	Any dependent person / families on this land.	Nil
13	Any displacement of person proposed.	Nil
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	No Rehabilitation plan is desired as nobody will be affected.

15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory afforestation scheme is not applicable in this project
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	Proposed area is not a part of Protected area. Distance of proposed area is more than 10 kms from protected area.
17	Dependence of tribal's in the area. Whether the rights of the tribal's have been recognized in this area.	Not Dependant
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Yes
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with	New project
20	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects	Yes
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum	Yes

22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected	No
23	Any other issue of significance.	No
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	<p>This office approves the diversion of the forest of the said Project.</p> <p>Reasons for Approval :-</p> <p>The relocation and resettlement on this land will make available 87.170 hac. of desirable meadow in the Satpura Tiger Reserve making it a compact patch for wide range of wildlife from small insects to large herbivores and simultaneously will form prey-base for the carnivores. This relocation will help in reducing the anthropogenic pressure on the tiger reserve, all well as minimize the possibility of any future human-animal conflict. The proposed area has Teak, Saj, Bhiriya and other miscellaneous species, and is found suitable for the purpose of the project.</p>

(Signature)
SANJEEV JHA (IFS)

Divisional Forest Officer

North Betul (T) Division

Place: Betul

Date: 1/2/17

Table 3 in the IEEE paper

Proposal For Diversion of Forest Land for Relocation of Village Maini (Part-II) From The Bori Sanctuary

Proposal For Diversion of Forest Land for Relocation of Village Malini (Part-II) From The Bori Sanctuary					
7	परियोजना / स्कीम का नाम				
i	दूरव्य / दृष्टि गतिशीलता				
ii	जिला	ii	वेस्ट		
iii	तात्पुरता	iii	वन मधुकर के ग्राम सतार वैदुल (रा) वनसंकट / परिवर्तन का नाम भीरा / वन क्षेत्र का आवेदन का संकेत 285 700 हेक्टेएर है।		
iv	प्रभाव		(अ) उन विधान के लिए वन मुक्ति परिवर्तन का नाम उत्तीर्ण / सरिहित वन क्षेत्र का नाम आवेदित संकेत (हेर)		
v	प्रभाव		(ब) वैल (रा) 17 लालोमट	RF 154	285 700
				घोप	285 700
			(स) वायरल विधान के अधिक वन मुक्ति परिवर्तन का नाम लोकप्रिय वन मुक्ति वन का नाम विवाह का नाम आवेदित संकेत (हेर)		
				विवाह	
vi	प्रभाव के बिना परिवर्तन का नाम का छोड़ दिया जाएगा।	vi		285 700	
vii	वन की कठिनी लक्षणी	vii	आवेदित वनमुक्ति है।		
viii	वन की घनता	viii	0.3 से 0.7 ट्रक		
ix	आवेदित शेष विवाह वन की परिवर्तन संकेत की जाए। 1 खिलो / विवाह परिवर्तन के साथ में वन वर्ष-2 वर्ष-2 और एक अप्रूव दर्शक वर्ष-4 विवाह वन की जड़ी वनस्पति रखना किया जाए।	ix	विवाह है।		

viii	मृ-सरकार के लिए दस लेट की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (प्रत्येक मुँहर की तीव्रता एवं प्रत्याग्रित परियोजना में वाहिका व्यावरण होने पर समर्पित मुँहर का)	viii	अवधारणा नहीं।
ix	करोतार प्रयोग के लिए प्रत्याग्रित लात की दस की संक्षिप्त टोटा अनुमति दूरी	ix	अवधारणा का कोई संदर्भ नहीं।
x	क्या अविदेता के गोदाम उदास, वन्य जीव अवधारणा लेव गोदाम विवेत लात विवेत लाती कोडेलां आदि का थाय है? (यहाँ हासे के बीच का लात और प्रभुव दस दीप वाहन की विप्रिया अवधारणा की वाएँ)	x	अवधारणा विवेत गोदाम उदास वन्य जीव अवधारणा लेव गोदाम विवेत लात विवेत लाती कोडेलां आदि का थाय है? (यहाँ हासे के बीच का लात और प्रभुव दस दीप वाहन की विप्रिया अवधारणा की वाएँ)
x	क्या दोनों में वनस्पति और प्राणि जीव की दुर्दृष्टि/समकालीन/विशिष्ट प्रणालियां पाई जाती हैं? यदि हाँ/ तो तात्परता लीजिए।	x	नहीं।
xii	क्या कोई सरकारी प्रशासनीय/प्राचीन/संस्कृत/ परिवार और कोई अन्य समरकारी संघरक दोनों वे स्थित हैं। यहाँ हासे के लालकरी योग्य राष्ट्र प्राचीनता से अनापूर्त प्रमाण पत्र के साथ याद अपीलित हो दे।	xii	नहीं है।
8	राष्ट्रपता द्वारा धारा 1- कालां 2 में प्रस्तुती का विवर की अवधारणा परिवर्जन के लिए अपीलियं और अन्यतम है यदि नहीं तो जाने जाय लिखना के बारे के बाब माफस लालू को क्या है?	8	नहीं।
9	क्या अधिनेत्र ने उत्तरान में कोई कार्य विवर दिया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अदले दोनों अवधारणियों पर तो नई वायविकी सहित कार्य का विवर है, क्या उत्तरान लालू कार्य अभी भी चल रहे हैं?	9	नहीं।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा।		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित चानेतर दृष्टि / अधिनियमित (विनाशक) रास कोर्ट, आसपास के बन से वर्षभी दूरी, भू खंडों की सभ्या प्रत्यक्ष भू खंड का प्रभाव।	i	अधिनियमित चाने।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विनाशक दृष्टि की उपयुक्तता के बारे में और प्रबलगदी दृष्टिकोण से रासम प्रश्निकारी (अप्रम संख्यक) का ध्यान पर।	ii	अधिनियमित।
iii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विनाशक चानेतर / अधिनियमित चानेतर दृष्टि की बास सोचते को दृष्टिकोण के पृष्ठ दृष्टि वनीकरण में कान माननेवाले दृष्टिकोण के विवरण दृष्टि वनीकरण में कान माननेवाले अवधारणा विवरण दृष्टि वनीकरण मानवित्र (सामुद्रकटी) - ५ दृष्टियाँ से कान में प्रवर्षण में 13360 रक्केल (विवरण मानवित्र 10 इच्छा = 1 रक्केल) मी संस्करण दिया जाये।	iii	अधिनियमित।
iv	सोचत की जाने वाली प्रजातीयों दृष्टिकोण प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण करनायाग्यान एवं सम्मान अनुसुनित वाच्चा अदि।	iv	अधिनियमित।
v	उप दर्शक (वनाहान अधिकारी) की स्वतंत्र विशिष्ट विनाशक विषयक उपर्युक्त कालम २ (X, XII), ६ और ९ में पूछ यद्य तब्दी को दर्शाने हुए (सलाह करें)	v	उप दर्शक (वनाहान अधिकारी) की स्वतंत्र विशिष्ट विनाशक विषयक उपर्युक्त कालम २ (X, XII), ६ और ९ में पूछ यद्य तब्दी को दर्शाने हुए (सलाह करें)
vi	विषय / उल्लंघनाकारी	vi	विषय / उल्लंघनाकारी
1	विनाश का अंगत्विक कीज़	1	10043.00 रुपये की।
2	विनाश को बनानेवाले	2	4008.84 रुपये की।
iii	समझी की सभ्या सहित 1980 से बनानेवाले भूमि से लाया गया कुल बनानेवाले	iii	क्षमी तक कुल 50 वर्गमीली मि 223178 : दृष्टिकोण वनाशक वनाशक कार्य के लिए दिया जाया है।
iv	1980 से निलंबन / यामा में विनाशक वनाशक वनीकरण (दृष्टिकोण प्रतिपूरक वनीकरण संस्करण)	iv	24 दिनों से यारत वनाशक / वनाशक वनाशक वनीकरण (दृष्टिकोण प्रतिपूरक वनीकरण संस्करण)

	अन्य क्रमांक	इसके लिए विधायक / संसदीय विधेयक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम
	क्रमांक	(वि. श)					
१	१	१५५ ३१४	२११७ ०९६	० ०००	० ००	२२७२ ४१	६
२	भौतिक विज्ञान को हुई प्रगति	अग्री रक्त विनाग्रास युक्तानुपाद विषय मात्रा १	अग्री दुष्टो विचार विधेयक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम	विधायक का नाम
			अग्री दुष्टो विचार विधेयक का नाम	(वि. श)	(वि. श)	(वि. श)	(वि. श)
	१	१०६ ९२८	११६७ ३८९	१८० २७१	-	१४५४ ५८८	७
	टैप:-	अग्री दुष्टो विचार विधेयक का नाम					
३	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।	जलवायन का संशोधन करने वाला अधिकारी का स्वतंत्रता राखना।

(संसदीकृत दस्तावेज़)
मा.व.स.
संसदीकृत दस्तावेज़ (राज.)
(संसदीकृत दस्तावेज़ (राज.)
२२७२ ४१

दस्तावेज़
संसदीकृत दस्तावेज़ (राज.)
प्रदानम्
(संसदीकृत दस्तावेज़ (राज.)